

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प चैनपुर (जाधोली)

389
7/6/18

क्र. नं० 31/18
7-6-18

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चैनपुर व भू-अभिलेख निरीक्षक चैनपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सासलपुर / नायब तहसीलदार X की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चैनपुर तहसील सासलपुर व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 4 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	चैनपुर	4	अतरो पत्नि रमेश जाति जाय नि. करौली हि. 1/5 विलारहन श्री मति मुन्नी देवी पत्नि धीरजी जायक सा. डेह हि. 1/5 शाहिन कडोदा राज. सा. से. क्षेत्र शाखा करौली मुर्त. जगदीश पुत्र विशान सन्तो पुत्री विशान हीरालाल तेजराम गिराज पि. श्री चन्द विरनवाई हल्की पुत्रीया श्री चन्द सिमरती केवा श्री चन्द शिवपरज वाबूलाल भंवर पि. हरेत अमरी केवा	अतरो पत्नि रमेश जाति जायक नि. करौली हि. 1/5 विलारहन श्री मति मुन्नी देवी पत्नि धीरजी जायक सा. डेह हि. 1/5 शाहिन कडोदा राज. सा. से. क्षेत्र शाखा करौली मुर्त. जगदीश पुत्र विशान सन्तो पुत्री विशान हीरालाल तेजराम गिराज पि. श्री चन्द विरनवाई हल्की पुत्रीया श्री चन्द सिमरती केवा श्री चन्द शिवपरज वाबूलाल भंवर पि. हरेत अमरी केवा

हरेत कौम चमार सा. डेह न. नं. 992

सासलपुर
07/06/18

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, कैम्प चैनपुर (जाधोली)
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक :-
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार सासलपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।